कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

फोन नं0 – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 94 दिनांक – 17/02/26

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 29.8784 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल – 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का ज्ञापांक 1114 दिनांक 07.11.2023 एवं आपका ज्ञापांक 2614 दिनांक 14.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 13 दिनांक 06.01.2026 द्वारा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन आपके कार्यालय में समर्पित किया गया था। पुनः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 288 दिनांक 06.02.2026 द्वारा संशोधित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। अनुपालन की स्थिति निम्नवत है–

क्रम सं0	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
01	The Complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के प्रस्तावित मौजा डाढा में 02 एवं बारिसारम में 01 कुल 03 अवैध तरीके से वनभूमि में ट्रांसमिशन टावर का निर्माण कार्य किया गया है जिसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संसुगत धाराओं के तहत वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1498 दिनांक 05.07.2023 एवं ज्ञापांक 2196 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दोनों वाद का अभियोजन प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है (अभियोजन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न– अनु0 01)। वर्तमान में यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा के न्यायालय में लंबित है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि तीनों टावरों के निर्माण के क्रम में कुल 0.0471 हे0 वनभूमि प्रभावित है जिसका उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में किया जा चुका है। तीनों टावरों के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकारियों (1) श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमण्डल, झारखण्ड

		उर्जा संचरण नि0 लि0, चतरा (2) श्री मनोज कुमार झा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट पॉवर स्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 पहली मंजिल, आनन्द विहार, हज हाउस, कडरू, रॉची का नाम भी अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पुर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी पर किये गये टावरों के निर्माण एवं प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में उपायुक्त, चतरा ने अपने पत्रांक 117 दिनांक 19.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय में जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन में कुल टावरों की संख्या–27 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकवा 0.43799 हे0 अकित है (उपायुक्त, चतरा का प्रतिवेदन संलग्न–अनु0 02)
02	Ducumentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना को परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.10.2020 को समर्पित किया गया था। साथ ही Satellite imagery के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का प्रस्ताव समर्पित करने के पश्चात् ही टॉवरों का निर्माण कराया गया है (फोटो संलग्न– अनु0 03)।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियमावली, 2023 के अध्याय–1 पारा 1.16 (ii)(a) में निहित प्रावधानों के आलोक में वनभूमि का प्रभावित रकबा 0.0471 हे0 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.43799 हे0 कुल प्रभावित रकबा 0.48509 हे0 पर पैनल एन0पी0भी0 लगाने हेतु अनुशंसा करने का अनुरोध किया गया है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित संशोधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

17/02/2026

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

Chatra to Hunterganj 132 Kv

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

फोन नं0 – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 147 दिनांक – 07.03.2026

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 29.8784 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल –23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची का ज्ञापांक 1114 दिनांक 07.11.2023 एवं आपका ज्ञापांक 2614 दिनांक 14.11.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 94 दिनांक 17.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 379 दिनांक 26.02.2026 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है। अनुपालन की स्थिति निम्नवत है–

क्रम सं0	पृच्छा	निराकरण की स्थिति
01	The Complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अंतर्गत 132KV D/C ट्रांसमिशन लाईन (चतरा से हण्टरगंज) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के टावर का निर्माण गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में किये जाने के फलस्वरूप, वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। इस सम्बंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1079 दिनांक 19.04.2024, पत्रांक 2834 दिनांक 25.10.2024, एवं पत्रांक 2812 दिनांक 21.11.2025 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में कराये गये कार्य से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण (संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि) के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था (छायाप्रति सलंग्न, **अनु०–1**)।

		तत्पश्चात्, उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 2925/रा०दिनांक 29.12.2025 द्वारा विषयांकित मामले में संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया, उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल के कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 117/रा०दिनांक 19.01.2026 (छाया प्रतिसलंग्न, **अनु०–2**) के माध्यम से चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) पर कुल 27 टॉवरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें से चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत 14 टॉवर पूर्ण रूप से खड़ा किया गया है, तथा दो टॉवरों का Foundation Work किया गया है। इन 16 टॉवरों के अवैध निर्माण में सन्निहित Violation रकवा–0.22797 हे० है। इस Violation रकवा के विरूद्ध संयुक्त जाँच कमिटी द्वारा Consolidated Guidelines and Clarifications, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 के FC Chapter-1, Para1.16 (ii) (a) के आधार पर निम्नवत् अनुशंसा की गयी है :– *"The penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to* ***five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest*** *from the date of raising such demand till the deposit is made"* फलस्वरूप, उपरोक्त Violation Area पर पीनल एन०पी०वी० यथा 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पाँच गुणा एन०पी०वी० (Five Times NPV alongwith 12% Simple Interest), की कार्रवाई सक्षम स्तर से की जा सकती है।

02	Ducumentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.	इस शर्त के अनुपालन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि पर टावर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने दिनांक 20.02.2021 के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में टॉवरों के अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि एवं गैर–मजरूआ जंगल झाड़ी पर अवैध निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है, तथा प्रस्ताव अग्रसारण में स्पष्टतः वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन न होने का Part-II में जिक्र किया गया है (स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन सलंग्न, **अनु०–3**) चतरा–हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन के KML File के अवलोकन में पाया गया है कि टॉवर संख्या–AP6/0, 6/1, AP7/0, AP8/0, AP10/0, 21/1, AP22/0 & AP23/0, दिनांक 25.02.2021, एवं टॉवर संख्या–10/1, AP11/0, AP14/0, 19/1, 20/1 & 23/1 दिनांक 12.12.2023 (Latest) की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery को निर्माण कराया जा चुका है, तथा दिनांक 12.12.2023 की Google Earth पर उपलब्ध Satelite Imagery के अनुसार टॉवर संख्या–AP18/0 & 18/1 का Foundation Work किया गया है। (Satelite Imagery की प्रति सलंग्न, **अनु०–4**) उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सम्भवतः सभी स्थलों पर निरीक्षण नहीं किया गया होगा, तथा उनके द्वारा निरीक्षण किये गये स्थलों पर अवैध टॉवरों का निर्माण नहीं पाया गया होगा।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

7/03/2026

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।